



संख्या- 38 /2026/001-695-1-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-60-वन एवं वन्य जीव विभाग के वचनबद्ध के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ब:419/21-5(1)/2026-27 दिनांक 02.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मतदेय रू०-97520.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी/विभाग की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यता नियमानुसार प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सी०ए०1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या- सी०ए० 1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर खाता/डिपॉजिट खाता अथवा पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।
10. विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. विभागाध्यक्ष द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण, वांछित फोटोग्राफ्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या-ब: 419/21-5(1)/2026-27, दिनांक 02-04-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
13. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु समय समय पर निर्गत ई-टेंडरिंग विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्षः 2235602000400 (हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे /घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवज़े का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2235602000400 हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे /घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवज़े का भुगतान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 2406010010300 (सामान्य निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	01 वेतन	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
2	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	02 मजदूरी	15,50,000 (रुपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)
3	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	03 मंहगाई भत्ता	2,60,00,000 (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)
4	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	04 यात्रा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
5	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	06 अन्य भत्ते	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	08 कार्यालय व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
8	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
9	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
12	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
13	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
15	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
16	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
17	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	55 मकान किराया भत्ता	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
20	060	2406010010300 सामान्य निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	45,00,000 (रुपये पैतालीस लाख मात्र)
	कुल			8,47,60,000 (रुपये आठ करोड़ सैंतालीस लाख साठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2406010010400 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406010010400 अधिष्ठान	01 वेतन	5,44,48,03,000 (रुपये पाँच अरब चौवालीस करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार मात्र)
2	060	2406010010400 अधिष्ठान	02 मजदूरी	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
3	060	2406010010400 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	3,53,91,22,000 (रुपये तीन अरब तिरेपन करोड़ इक्यानबे लाख बाईस हजार मात्र)
4	060	2406010010400 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
5	060	2406010010400	05	50,00,000

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिष्ठान	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	(रुपये पचास लाख मात्र)
6	060	2406010010400 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
7	060	2406010010400 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
8	060	2406010010400 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	10,95,00,000 (रुपये दस करोड़ पंचानबे लाख मात्र)
9	060	2406010010400 अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	2,08,00,000 (रुपये दो करोड़ आठ लाख मात्र)
10	060	2406010010400 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	36,00,000 (रुपये छत्तीस लाख मात्र)
11	060	2406010010400 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
12	060	2406010010400 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
13	060	2406010010400 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
14	060	2406010010400 अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
15	060	2406010010400 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

16	060	2406010010400 अधिष्ठान	18 प्रकाशन	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
17	060	2406010010400 अधिष्ठान	23 गुप्त सेवा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	060	2406010010400 अधिष्ठान	39 औषधि तथा रसायन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
19	060	2406010010400 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	93,70,000 (रुपये तिरानबे लाख सत्तर हजार मात्र)
20	060	2406010010400 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
21	060	2406010010400 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
22	060	2406010010400 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
23	060	2406010010400 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
24	060	2406010010400 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
25	060	2406010010400 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
26	060	2406010010400 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	10,20,00,000 (रुपये दस करोड़ बीस लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

27	060	2406010010400 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			9,49,16,95,000 (रुपये नौ अरब उनचास करोड़ सोलह लाख पंचानवे हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2406010010600 (ई-गवर्नेन्स योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
2	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
4	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
7	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
9	060	2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,45,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)
	कुल			2,37,00,000 (रुपये दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 2406021100900 (उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021100900 उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 2406021101200 (जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	01 वेतन	3,14,00,000 (रुपये तीन करोड़ चौदह लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	03 मंहगाई भत्ता	2,04,10,000 (रुपये दो करोड़ चार लाख दस हजार मात्र)
4	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	06 अन्य भत्ते	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
7	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
9	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		पार्क का विकास		
10	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	13 टेलीफोन पर व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
11	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
12	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
13	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	29 अनुरक्षण	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
14	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	39 औषधि तथा रसायन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
16	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	060	2406021101200	49	10,00,000

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	चिकित्सा व्यय	(रुपये दस लाख मात्र)
18	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	55 मकान किराया भत्ता	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
19	060	2406021101200 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			7,23,55,000 (रुपये सात करोड़ तेईस लाख पचपन हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2406021110300 (प्रिंस आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन लखनऊ को अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021110300 प्रिंस आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन लखनऊ को अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2406021111000 (गोरखपुर में चिडियाघर योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
--	---------------	-------------	---------	-------------------

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

1	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	08 कार्यालय व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
4	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	09 विद्युत देय	85,00,000 (रुपये पचासी लाख मात्र)
5	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
7	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
9	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	39 औषधि तथा रसायन	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
10	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	42 अन्य व्यय	1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
13	060	2406021111000 गोरखपुर में चिडियाघर योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	99,00,000 (रुपये नित्यानबे लाख मात्र)
	कुल			4,36,50,000 (रुपये चार करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र)

महायोग	9,75,20,60,000 (रुपये नौ अरब पचहत्तर करोड़ बीस लाख साठ हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।**

संख्या- 38(1)/2026/001-695-1-81-4-2026, तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।